।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सौठवाल, आर०ए०एस०

राजस्व वाद सं० 1/9 तारीख रुजू 09.12.2021

01– सावित्री देवी पत्नी श्री हुकमसिंह जाति चमार निवासी ग्राम बेरली तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा) हाल निवासी प्लॉट नं० 34 खुदनपुरी, तहसील व जिला अलवर –वादनी

बनाम

01– तहसीलदार, अलवर बहैसियत लैण्ड हो..कर, अलवर

02– उपपंजीयक, अलवर

03– होशियार सिंह दहिया पुत्र श्री लीलाराम जाति चमार निवासी 1/36, एन.ई.बी दाउदपुर, अलवर

04– श्रीमति निर्मला दहिया स्त्री श्री होशियारसिंह दहिया जाति चमार निवासी 1/36, एन.ई.बी. दाउदपुर, अलवर –प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक: 10.01.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादनी व 20 अन्य कुल 21 व्यक्तियों ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.12.1990 को इकजाई रूप से आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नं० 208 रकबा 0.35 है० वाके ग्राम खुदनपुरी तहसील अलवर में खरीद की थी, बाद खरीद खरीदारान ने सहुलियत के अनुसार खरीद शुदा आराजी का बटवारा कर लिया। वादनी के हिस्से में प्लॉट नं० 34, खुदनपुरी आया। प्लॉट का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.11.2021 को कागजात का अवलोकन किया तो पता चला की बैयनामा में क्रम संख्या 19 पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वादनी के स्थान पर क्रम संख्या 18 पर दर्ज प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती निर्मला दहिया का नाम रिपीट कर दिया गया। दस्तावेज लेखक ने भूलवश खरीदा क्रमांक 18 जो खरीदारा का नाम श्रीमती निर्मला दहिया स्त्री होशियारसिंह दहिया जाति चमार निवासी 1/36 एन.ई.बी. दाउदपुर अलवर वही नाम मिन वादनी सावित्री देवी के क्रमांक 19 पर श्रीमती निर्मला दहिया दर्ज कर दिया परन्तु उसके पति हुक्मसिंह का नाम व निवास का पता सही दर्ज कर दिया। जो बैयनामा पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन कर दिया गया तथा बैयनामा के आधार पर इंतकाल व अन्य राजस्व रिकार्ड में भी क्रमांक 19 पर मिन वादनी का नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादी संख्या–4 का नाम दर्ज कर दिया व शेष इबारत जैसे पति का नाम व निवास स्थान का पता मिन वादनी का ही दर्ज कर दिया तथा जो प्रतिवादी संख्या–3 बनाया गया है वह प्रतिवादी संख्या–4 निर्मला दहिया का पति है। खरीदशुदा आराजी के इंतकाल व राजस्व रिकार्ड में क्रमांक 19 पर मिन वादनी का नाम दर्ज नही होने से उसके हक हकूक जायल होते है। बैयनामा में क्रमांक 19 पर मिन वादनी के नाम के बजाय दस्तावेज लेखक द्वारा जो प्रतिवादी नं० 4 का नाम दर्ज कर दिया गया है वह एक क्लेरिकल मिस्टेक की श्रेणी में आती है। वादनी के हक में इस आशय की दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है कि खरीदशुदा जमीन में क्रमांक 19 पर जो प्रतिवादी संख्या–4 का नाम दर्ज किया गया है उसको निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर क्रमांक 19 पर मिन वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार अलवर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत लिखा गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद नादान एडवोकेट ने वकालतनाम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब पेश नही कर 50 – 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्मला दहिया व होशियार सिंह दहिया के नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादनी ने शपथ पत्र ब्रजमोहन पुत्र चरण सिंह जाटव एवं पूरण मल पुत्र रामकिशन जाटव के

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

शपथपत्र पेश किये। तहसीलदार अलवर ने पटवारी हल्का खुदनपुरी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की मूल रिपोर्ट प्रेषित की है।

वकील वादनी एवं प्रतिवादीगण के वकील साहिवान की वहस सुनी। वकील वादनी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए खरीदशुदा जमीन में क्रमांक 19 पर जो प्रतिवादी संख्या–4 का नाम दर्ज किया गया है उसको निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर क्रमांक 19 पर मिन वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने इन्द्राज दुरूस्त करने वावत सहमति जाहिर की।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वकील वादनी एवं प्रतिवादी सं० 3 व 4 के वकील साहिवान की वहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात फोटोप्रति यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र नं० आरवी10929166 एवं एचआर/07/87/438169, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड एवं आधार कार्ड संख्या 326917450449, प्रमाणित प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 से 2070 एवं नकल जमाबन्दी 2068 से 2071 एवं तहसीलदार अलवर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 04.12.1990 पेश की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है बैयनामा दिनांक 04.12.1990 अनुसार ग्राम खुदनपुरी साबिक खसरा नम्बर 169 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा श्रीमती निर्मला देवी स्त्री हुक्म सिंह मेहन्दिया निवासी ग्राम बरेली तहसील रिवाडी सहित कुल 21 व्यक्तियान द्वारा क्रय की गई थी। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 साविक खसरा नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का नया खसरा नम्वर 208 रकवा 0.35 है० बना है। जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 वाके ग्राम खुदनपुरी के आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी उत्तम के खाता संख्या 204 पर क्रम संख्या 18 श्रीमती निर्मला स्त्री होशियार सिंह एवं क्रम संख्या 19 पर श्रीमती निर्मला स्त्री हुक्मसिंह वगै० खातेदार दर्ज है। हाल राजस्व रिकार्ड ग्राम खुदनपुरी के खसरा नम्बर 208 रकबा 0.35 है० महकमा नगर विकास न्यास के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थिया सावित्री देवी स्त्री हुक्मसिंह द्वारा चारों तरफ चार दीवारी कर गेट

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

लगाकर कब्जा किया हुआ है। प्रार्थीया स्वयं द्वारा क्रय की गई भूमि के संलग्न बयनामा क्रम संख्या 18 पर दर्ज नाम निर्मला स्त्री होशियार सिंह के साथ साथ भूलवश क्रम संख्या 19 पर भी स्वयं के नाम सावित्री देवी के स्थान पर निर्मला हो जाने को दुरस्त करवाना चाहती है। भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट एवं दुरूस्त बतलाते हुऐ अन्य तथ्यों के आधार पर पत्रांक एलआर/2021/115 दिनांक 06.01.2022 द्वारा रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.नि. उचित बतलाई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वादनी का वाद स्वीकार किया है। वादनी के नाम पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 47 में क्रम संख्या 19 पर दर्ज श्रीमति निर्मला स्त्री हुकमसिंह के स्थान पर सावित्री पत्नी हुकमसिंह के नोट का अंकन करावें। वादनी को जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में खाता संख्या 204 खसरा नम्बर 208 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी उत्तम. वाकेग्राम खुदनपुरी के क्रम संख्या 19 पर श्रीमति निर्मला स्त्री हुकमसिंह के स्थान पर सावित्री देवी पत्नी हुकमसिंह पढा जावे। तदानुसार जमाबन्दी में नोट लगाया जावे। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर